TVR
2022

# न्यायालय तहसीलदार मसूदा जिला अजमेर

(प्रकरण संख्या 05/2022)

स्थान सरकार जरिए पटवारी हल्का कानाखेडा V/S सलीम पुत्र पन्ना जाति मेरात निवासी कानाखेडा

## भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट

## –:निर्णय:–

दिनांक 28–01–2022

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित। मैने पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का **कानाखेडा** द्वारा सम्वत 078 में ग्राम **कानाखेडा** की भूमि खसरा नंबर **631** कुल **0.4530 हेक्टयर** किस्म भूमि **रास्ता** में से **0.0081 हैक्टेयर** भूमि र अप्रार्थी **सलीम पुत्र पन्ना जाति मेरात निवासी कानाखेडा** द्वारा अवैध रूप से **नींव खोदकर व पत्थर डालकर** तिचार किए जाने पर अप्रार्थी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत गई। प्रकरण भू –राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी का भू– जस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल. आर. एक्ट के प्रावधानो के तहत नोटिस दिनांक **28–01–2022** को मुकाम दा पर उपस्थित होने बाबत् जारी किया गया।

अप्रार्थी ने नोटिस के जवाब में अपने पक्ष मे कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये । अतः अप्रार्थी के विरूद्ध तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। भूमि नियमन योग्य नहीं है। मैने पत्रावली का विवेचनात्मक अध्ययन एवं मनन । अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कोई ठोस सबूत एवं दस्तावेज पेश नहीं किए एवं अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर अपना अवैध क्रमण होना स्वीकार किया। भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड अनुसार सिवायचक खाते में दर्ज है। अप्रार्थी बतौर अतिकर्मी भूमि पर काबिज है।

अतः अप्रार्थी **सलीम पुत्र पन्ना जाति मेरात निवासी कानाखेडा** को **तहसील मसूदा के** ग्राम **कानाखेडा** के खसरा **631** कुल **0.4530 हेक्टयर** किस्म भूमि **रास्ता** में से **0.0081 हैक्टेयर** भूमि पर किए गए नाजायज कब्जे/काश्त के तिक्रमी घोषित किया जाता है एवं आदेश दिए जाते है कि अप्रार्थी को उक्त भूमि मे से बेदखल किया जावे एवं आर्थिक रूप में वार्षिक लगान **.25** अर्थात राउण्ड आफ में राशि रूपये **50/–** बतौर शास्ति आरोपित की जावे व मौके से को जब्त सरकार कर नीलाम किया जावे। आदेश की पालना भू–अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को व डिमाण्ड हेतू तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। पत्रावली बाद कार्यवाही फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक **28–01–2022** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया एवं शामिल मिसल या।

28/01/22
तहसीलदार
मसूदा